FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

रतनाराम बनाम सरपंच ग्रा० पं० बायतु भीमजी

किस्म मुकदमा राजस्व अपील नं 05/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/07/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 75 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/08/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
31/08/2021	अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट के वकील उपस्थित। रेस्पोडेण्टगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल प्राप्त/[illegible] पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/09/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested

14/09/21 अपीलार्थी के वकील उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या- 1, 2, 5 व 6 के नोटिस तामील होकर प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 सरपंच ग्राम पंचायत बायतु भीमजी स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया व रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 की ओर से वकील श्री नरपत सिंह द्वारा वकालतनामा व रेस्पोंडेन्ट संख्या-3 व 4 की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक- 08/10/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

08/10/21 पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत बायतु भीमजी में रखी गई। अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्टों के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या-3 व 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति अपीलार्थी के अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, आइन्दा पेश करना चाहते हैं अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12/11/21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

12/11/21 वुकला फरीकैन उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के वकील द्वारा जवाब [illegible] आइन्दा पेश करना चाहते हैं अवसर दिया जा[illegible] [illegible]0/11/21 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested

क्रम	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/01/2022	बुलाया फरीकैन उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति अपीलान्ट के अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते लिखित बहस, आवश्यक दस्तावेज व न्यायिक दृष्टान्त पेश करने हेतु अवसर दिलाने बाबत का प्रस्तुत किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के द्वारा पूर्व में जवाब पेश करने हेतु भी विलम्ब किया गया, करीब 4 माह का समय लेने के बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। तथा वर्तमान में लिखित बहस व दृष्टान्त पेश करने हेतु समय चाहते है जिनका [illegible] है कि उक्त अपील को लम्बा चलाया जा[illegible] व कार्य में विलम्ब हो [illegible] रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते लिखित बहस, आवश्यक दस्तावेज व न्यायिक दृष्टान्त पेश करने बाबत प्रार्थना-पत्र को खारिज फरमाया जावें व उक्त पत्रावली में बहस सुनकर निर्णय किया जावें। जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/11/2021	पत्रावली बाद प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत हौसालिया में रखी गई। वकील फरीकैन उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते हैं। रूप से प्रार्थित अन्त: अवसर दिये गये अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06/12/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
06/12/2021	वकील फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/01/2022 को पेश हो।
06/01/2022	वकील फरीकैन उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते हैं। न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10/01/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
10/01/2022	वकील फरीकैन उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते हैं। एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13/0[illegible] को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया की उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर लिखित बहस, आवश्यक दस्तावेज व न्यायिक दृष्टान्त पेश करने का अवसर दिया जावे ताकि आदेश करने में सुविधा हो। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र लिखित बहस पेश, आवश्यक दस्तावेज व न्यायिक दृष्टान्त पेश करने के प्रार्थना-पत्र को खारीज किया जाता है व अपील पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने व पत्रावली तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड नामान्तरकरण संख्या-269 दिनांक-05/07/2021 व सरपंच ग्राम पंचायत बामडु भीमजी द्वारा प्रस्तुत जवाब का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया बाद अवलोकन अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया/पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

अपील सख्या – 05/2021

अपीलांट	बनाम	उत्तरदातागण
1. रतनाराम गोदपुत्र नैनाराम जाति जाट निवासी सउओं व बेनिवालों की ढाणी, बायतु भीमजी, तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत बायतु भीमजी 2. लेहरोंदेवी पुत्री राजों/नैनाराम पत्नी तेजाराम निवासी रिधूसर, खींपर तहसील बायतु 3. केहराराम पुत्र लाभूराम 4. मगाराम पुत्र लाभूराम 5. हेमी पत्नी खेमाराम जाति जाट निवासी सउओं व बेनिवालों की ढाणी, बायतु भीमजी, तहसील बायतु जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार बायतु

दिनांक :– 13.01.2022

उपस्थित :–
1. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील अपीलांट
2. श्री नरपत पूनड़ वकील उत्तरदातागण संख्या 2

–: आदेश :–

अपीलांट द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–269/05.07.2021 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट की माता राजोंदेवी पत्नी नेनाराम एवं उत्तरदाता संख्या 3 से 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा बनिया धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 147, 148, 149 रकबा क्रमशः 0.0162, 18.6151, 16.3580 हैक्टेयर में आई हुई हैं। जिसमें अपीलान्ट की माता राजोदेवी का 1/2 हिस्सा तथा उत्तरदातागण संख्या 3 से 5 का 1/2 हिस्सा था। राजोदेवी क कोई पुत्र न होने के कारण राजोदेवी ने अपने जेठ लाभूराम के पुत्र अपीलांट को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया तथा जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 05.06.1995 को उपपंजीयक कार्यालय बायतु में बही संख्या III जिल्द संख्या I पेज संख्या 74 के कम संख्या 7/95 पर पंजीबद्व करवाया गया। गोद लेने के बाद अपीलांट अपने पैतृक भूमि के हक हिस्से को छोड़कर अपने गोदमाता राजोंदेवी के साथ रहवास करने लगा। राजोंदेवी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिशान् गोदपुत्र अपीलांट व जायंदा पुत्री उत्तरदातागण संख्या 2 लेहरों थे। दिनांक 13.05.2021 को राजोंदेवी के फौत होने पर राजोदेवी के 1/2 हिस्से की भूमि अकेले उत्तरदातागण संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई। अतः उक्त कार्रवाही से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर अपीलांट का नाम उत्तरदातागण संख्या 2 के साथ नाम दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलांटगण द्वारा देरी के लिये धारा–5 म्याद भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया [illegible] धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सदभावी भूल मानते हुए एवं इस अपील [illegible] देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को सम्मन जारी किये गये है। उत्तरदातागण संख्या 1 से 2 व 4 से 6 के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। उत्तरदातागण सं[illegible]2 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। उत्तरदातागण संख्या 4 व 5 की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा वकालातनामा व इकबाली जवाब पेश किया गया। उत्तरदातागण संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। उत्तरदातगण संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में बताया गया कि राजोंदेवी के द्वारा रतनाराम को गोद लिया गया था तथा गोदपुत्र रतनाराम के साथ ही रहती थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

.तागण संख्या 1 को पूर्व में जानकारी नहीं होने के कारण केवल लेहरोंदेवी के नाम से नामान्तरकरण कर दिया गया। उत्तरदातागण संख्या 2 के द्वारा जवाब पेश किया गया तथा तथाकथित गोदनामा को खारिज करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद लेहरोदेवी बनाम रतनाराम वगैरा दायर किया जाना बताया। लेकिन सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद के प्रति पेश नहीं की गई है।

अपील के समर्थन में अपीलांट द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय–पत्र, जन आधार कार्ड, उपपंजीयक बायतु में रजिस्टर्ड गोदनामा की प्रति पेश की गई। नामान्तरकरण संख्या–269/05.07.2021 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट की माता राजोंदेवी के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया। उपपंजीयक बायतु में रजिस्टर्ड गोदनामा, उत्तदातागण संख्या 1 व 4 से 5 के जवाब के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजोदेवी द्वारा अपने जीवित रहते अपीलांट को गोद लिया गया था लेकिन गोदनामा की जानकारी के अभाव में उत्तदातागण संख्या 1 के द्वारा राजोंदेवी के विधिक वारिशान् होने के बावजूद भी अपीलांट का नाम नामान्तरकरण भरते समय दर्ज नहीं कर केवल उत्तरदातागण संख्या 2 के नाम से नामान्तरकरण पारित किया गया।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों व नामान्तरकरण संख्या 269/05.07.2021 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुए अपीलांट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 269/05.07.2021 को खारिज किया जाकर तहसीलदार बायतु को प्रतिप्रेषित कर मौजा बनिया धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 147, 148, 149 रकबा क्रमशः 0.0162, 18.6151, 16.3580 हैक्टेयर भूमि में उत्तरदातागण संख्या 2 के 1/2 हिस्से के साथ अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बायतु उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 17:13:16 IST
Reason: SelfAttested